

फा. संख्या सीबीआईसी-20001/14/2024-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

तारीख: 27 मार्च, 2025

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 128क का लाभ प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न मुद्दे- के संदर्भ में।

जीएसटी परिषद की 53वीं और 54वीं बैठकों में की गई सिफारिशों के आधार पर, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए धारा 73 के तहत उठाई गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट प्रदान करने हेतु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे सीजीएसटी अधिनियम कहा जाएगा) में एक नई धारा 128क शामिल करने के साथ ही केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे आगे सीजीएसटी नियम कहा जाएगा) में नया नियम 164 जोड़ा गया, जो 1 नवंबर 2024 से है। इसके पश्चात संबंधित विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने हेतु तारीख 15 अक्टूबर 2024 को परिपत्र संख्या 238/32/2024-जीएसटी जारी किया गया ।

2. व्यापार और उद्योग से कुछ ऐसे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं जिनमें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 128क के तहत प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करने में आ रही कुछ समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि धारा 128क के तहत लाभ के लिए मामलों की पात्रता, जहां भुगतान डीआरसी-03 के बजाय जीएसटीआर-3ख के माध्यम से किया जाता है और उक्त लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 128क के तहत निर्दिष्ट अवधि से भिन्न समेकित न्यायनिर्णयन आदेश के खिलाफ करदाता द्वारा दायर अपील को वापस लेने का उपचार।

3. तदनुसार, व्यापार और उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे विस्तृत मुद्दों को स्पष्ट करता है।

4. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, इस परिपत्र में उल्लिखित सभी धाराएं सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धाराओं को संदर्भित करती हैं और इसमें उल्लिखित सभी नियम सीजीएसटी नियम, 2017 के नियमों को संदर्भित करते हैं।

4.1 मुद्दा 1: क्या ऐसे मामले हैं जहां कर का भुगतान जीएसटी अधिनियम की धारा 128क की अधिसूचना यानी 1 नवंबर, 2024 से पहले फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के बजाय फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न के माध्यम से किया गया है, जीएसटी अधिनियम की धारा 128क के तहत लाभ हेतु योग्य है ?

4.1.1 इस बारे में स्पष्टता की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या ऐसे मामले जहां धारा 128क के लागू होने से पहले यानी 1 नवंबर 2024 से पहले फॉर्म जीएसटीआर 3ख के माध्यम से भुगतान किया गया है, इस धारा के तहत लाभ के लिए पात्र हैं।

4.1.2 मामले की जांच की गई है। परिपत्र संख्या **238/32/2024-जीएसटी दिनांक 15 अक्टूबर, 2024** के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि धारा 128क की उपधारा (1) के तहत अधिसूचित तिथि अर्थात् 1 नवंबर, 2024 से पहले उक्त मांग के लिए भुगतान की गई ऐसी सभी राशि को धारा 128क की उपधारा (1) में देय राशि के रूप में भुगतान किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि उक्त राशि का भुगतान 1 नवंबर 2024 से पहले किया गया हो तथा इसका भुगतान उक्त मांग के संदर्भ में किया जाना उद्देशित था ।

4.1.3 आगे, नियम 164 (1) में यह प्रावधान है कि धारा 128क का लाभ प्राप्त करने के लिए, धारा 128क (1) (क) में उल्लिखित नोटिस या विवरण के संबंध में मांगे गए कर के लिए फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 में भुगतान किया जाना है और नियम 164 (2) में यह प्रावधान है कि कर का भुगतान अनिवार्य रूप से धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित आदेशों के संबंध में बनाई गई डेबिट प्रविष्टि के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में राशि जमा करके ही किया जाएगा और जहां भुगतान पहले ही फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया जा चुका है, उन मामलों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी बताई गई है ।

4.1.4. उपरोक्त प्रावधानों की जांच से यह स्पष्ट होता है कि जिस करदाता ने धारा 128क के लागू होने की तिथि अर्थात् 01 नवंबर 2024 से पहले फॉर्म जीएसटीआर-3ख के माध्यम से भुगतान किया है, उसे भी योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कोई भी करदाता जो उक्त धारा के प्रभावी होने के बाद अर्थात् 1 नवंबर 2024 को या उसके बाद योजना का लाभ उठाना चाहता है, उसे नियम 164 के तहत निर्धारित तरीकों से भुगतान करना होगा।

4.1.5. इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में 1 नवंबर 2024 से पहले फॉर्म जीएसटीआर 3ख के माध्यम से मांग अधिसूचना और/या न्यायनिर्णयन आदेश जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जाता है, वे भी उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन धारा 128क के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।

4.2 मुद्दा 2: क्या (i) मांगे गए संपूर्ण कर का भुगतान करना होगा और (ii) अपील को उस संपूर्ण अवधि के लिए वापस लेना होगा, जहां करदाताओं को अधिसूचना /विवरण /आदेश जारी किए गए हैं, जो आंशिक रूप से धारा 128क के अंतर्गत और आंशिक रूप से इसके बाहर की अवधि को कवर करते हैं।

4.2.1 ऐसे मामलों में जहां अधिसूचना /विवरण या आदेश आदि आंशिक रूप से धारा 128क के अंतर्गत कवर की गई अवधि और आंशिक रूप से उक्त से परे अवधि को कवर करता है, इस हेतु नियम 164(4) और नियम 164(7) में संशोधन किया गया है ताकि करदाता को धारा 128क के तहत उल्लिखित अवधि के लिए अपने कर देयता के भुगतान के बाद फॉर्म एसपीएल-01 या फॉर्म एसपीएल-02 जैसा भी मामला हो के तहत आवेदन दायर करने की अनुमति मिल सके। करदाता फॉर्म एसपीएल-01 या फॉर्म एसपीएल-02 दाखिल करने के बाद अपीलीय प्राधिकारी या न्यायाधिकरण को धारा 128क का लाभ उठाने के अपने प्रयोजन से अवगत कराएगा और यह भी बताएगा कि वह उक्त धारा के अंतर्गत आने वाली अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक अपील को आगे बढ़ाने का प्रयोजन नहीं रखता है। जैसा भी मामला हो, अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण उक्त अनुरोध पर ध्यान देगा तथा उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के अलावा अन्य अवधि के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे।

4.2.2. परिपत्र संख्या 238/32/2024-जीएसटी, तारीख 15 अक्टूबर, 2024 के तहत जारी स्पष्टीकरण में पैरा 4 पर स्थित तालिका के बिन्दु 6 को तदनुसार वापस लिया जाता है।

5. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

6. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)

आयुक्त (जीएसटी)